कृपया प्रारूप अनुमोदनार्थ

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी–2, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा, पटना–800 010

अधिसूचना सं0:– फ/01–01/2024/11 पटना, दिनांकः–30.12.24

–: अधिसूचना :–

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–17, 25 एवं 26, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–17 एवं 21 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के आलोक में पर्षद् मंडल की विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णय एवं स्वीकृति के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, संचालन तथा सहमति शर्त्तों के अनुपालन की अवहेलना के विरूद्ध विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना हेतु दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं। पर्षद् मंडल की 119वीं बैठक, दिनांक 20.12.2024 में लिये गये निर्णय एवं स्वीकृति के आलोक में पूर्व निर्गत दिशा–निदेशों को आंशिक रूप से संशोधित एवं संकलित कर संशोधित अधिसूचना निम्न प्रकार अधिसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	अधिसूचना सं0/दिनांक	पर्षद् मंडल की स्वीकृति	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु दिशा–निदेश
1	अधिसूचना सं0: 38, दिनांक: 20.12.2021	111वीं बैठक, दिनांक: 06.12.2021	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा– 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 21 के तहत पर्षद् से पूर्व स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित इकाई को स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन के साथ वर्तमान स्थापनार्थ सहमति शुल्क के दोगुनी राशि का शुल्क के रूप में एक मुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। **गणना का नमूनाः–** स्थापनार्थ सहमति आवेदन समर्पित करने के समय इकाई की लागत व्यय के आधार पर सहमति शुल्क की राशि– X है। आवेदक को कुल शुल्क राशि– 2X मात्र का भुगतान एक मुश्त करना होगा।
2	अधिसूचना सं0: 29, दिनांक: 09.12.2019	108वीं बैठक, दिनांक: 24.10.2019	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा– 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 21 के तहत स्थापनार्थ सहमति प्राप्ति के पश्चात् संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना

	एवं अधिसूचना सं0: 08, दिनांक: 18.09.2020		इकाई का संचालन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा आवेदन के साथ वर्तमान संचालनार्थ सहमति शुल्क एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान निम्न प्रकार करना होगाः– स्थापनार्थ सहमति की अवधि समाप्ति की तिथि से संचालनार्थ सहमति आवेदन समर्पित करने की तिथि के बीच कुल चूक–अवधि हेतु प्रति माह की दर से वर्तमान संचालनार्थ सहमति शुल्क की राशि की दोगुनी राशि एवं वर्तमान सहमति शुल्क की राशि का एक मुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। आवेदक को तद्नुसार स्थापनार्थ सहमति अवधि विस्तार हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने से मुक्त किया जाता है। एक दिन भी सहमति आवेदन विलम्ब से समर्पित किये जाने की गणना एक माह के रूप में किया जायेगा। **गणना का नमूनाः–** वर्तमान सहमति शुल्क राशि यदि X है। विलम्ब की चूक–अवधि 6–माह पायी गयी है। सहमति शुल्क एवं क्षतिपूर्ति राशि का एक मुश्त भुगतान निम्न प्रकार करना अनिवार्य होगाः– कुल भुगतेय राशि = $X + [(X \div 60) \times 6] \times 2$
3	अधिसूचना सं0: 29, दिनांक: 09.12.2019 एवं अधिसूचना सं0: 08, दिनांक: 18.09.2020	109वीं बैठक, दिनांक: 18.09.2020	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा– 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 21 के तहत संचालनार्थ सहमति प्राप्त कर इकाई का संचालन करने वाली इकाई किन्हीं कारणों से संचालनार्थ सहमति अवधि समाप्ति के पश्चात सहमति अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करते हैं। तद्नुसार पूर्व सहमति अवधि समाप्ति की तिथि से आवेदन समर्पित करने की तिथि के बीच के कुल चूक–अवधि हेतु प्रति माह के दर से वर्तमान सहमति शुल्क राशि की दोगुनी राशि एवं वर्तमान सहमति शुल्क राशि का एक मुश्त का भुगतान करना अनिवार्य होगा। एक दिन भी सहमति आवेदन विलम्ब से समर्पित किये जाने की गणना एक माह के रूप में किया जायेगा। **गणना का नमूनाः–**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>वर्तमान सहमति शुल्क राशि यदि X है। विलम्ब की अवधि 6–माह पायी गयी है। सहमति शुल्क एवं क्षतिपूर्ति राशि का एक मुश्त भुगतान निम्न प्रकार किया जाना अनिवार्य होगाः–
कुल भुगतेय राशि = X + [(X ÷ 60) x 6] x 2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अधिसूचना सं0: 31, दिनांक: 09.12.2019</td><td>108वीं बैठक, दिनांकः 24.10.2019</td><td>जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निर्गत सहमति शर्त्तो एवं दिशा–निदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले (Non-Complying) इकाईयों से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A. NO.-593/2017 यथा अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित विधि के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर वसूली का प्रावधान निम्न प्रकार किया गया हैः–
गणना की विधिः
1. PI - Pollution Index of Industrial Sector as per its color categorization. The value of PI shall be accessed as on value given below:-
<table>
<tr><th>S.N.</th><th>Category</th><th>PI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Red</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Orange</td><td>50</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Green</td><td>30</td></tr>
</table>
2. N - Period of violation (No. of days)
3. R - Factor in Rupees = Rs. 250 (As in average)
4. S - Categorization of unit based on Project Cost. Details are as below:-
<table>
<tr><th>S.N.</th><th>Category</th><th>S</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Large</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Medium</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Small</td><td>0.5</td></tr>
</table>
5. LF – Location Factor.
(Location of the Industrial unit with population of city or town within Municipal boundary or up to 10.0 KM distance from the City or Town.)
<table>
<tr><th>S.N.</th><th>Population</th><th>LF</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>< 10.00 lack (L)</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>10.0 L to <50.0 L</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>50.0 L to <100 L</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>> 100 L</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Unit located at > 10.0 KM of municipal boundary</td><td>LF 1.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			Calculation of Environmental Compensation: **EC = (PI X R X S X LF) X N** **नोटः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि किसी भी स्थिति में रू0 5,000/– प्रतिदिन के कम अथवा इकाई की पूँजीगत लागत के 50–प्रतिशत की राशि से अधिक नहीं होगी।** **गणना का नमूनाः–** औद्योगिक इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का आंकलन निम्न प्रकार किया जायेगाः– 1. लाल श्रेणी की इकाई है। तद्नुसार **PI= 80,** 2. Factor को पर्यावरणीय उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर रू0 100–500 के बीच निर्धारित किया गया है। परन्तु इसे औसतन रू0 250 मानते हुए गणना करने की सलाह दी गयी है। तद्नुसार **R= Rs. 250,** 3. स्थापनार्थ सहमति निर्गत की तिथि/संचालनार्थ सहमति निर्गत की तिथि/जन–शिकायत प्राप्ति की तिथि/अभिप्रमाणित अभिलेख जो इकाई के संचालन को आरंभ करने की तिथि हेतु प्रमाणिक हो/राज्य पर्षद् अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा अन्य अधिकरण एवं सरकार द्वारा पूर्व निर्गत_निदेश की तिथि/पूर्व स्थल निरीक्षण की तिथि से वर्तमान स्थल निरीक्षण की अवधि कुल– 55 दिन हैं। तद्नुसार **N=55,** 4. नगरीय क्षेत्र में आबादी की संख्या 10–लाख से 50–लाख के बीच इकाई का स्थल है। तद्नुसार **LF= 1.25,** 5. इकाई की परियोजना लागत के आधार पर मध्यम श्रेणी की है। तद्नुसार **S= 1.0.** अतः पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशिः– **EC = (PI X R X S X LF) X N** = (80 x 250 x 1.0 x 1.25) x 55 = (Rs. 25,000) x 55 (क्षतिपूर्ति राशि प्रतिदिन = Rs. 25,000/- है। यह निर्धारित न्यूनतम राशि रू0 5,000 से अधिक है।) तद्नुसार कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि **EC** = Rs. 25,000 x 55= 13,75,000/-
	Note: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश के तहत् अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमों (प्लास्टिक/जैव चिकित्सा/ई–अपशिष्ट/ठोस–अपशिष्ट/खतरनाक–अपशिष्ट प्रबंधन आदि) के तहत् अलग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना निर्धारित विधि से की जायेगी।		

5	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र File No. PJ-14011(11)/1/2021-WQM-II-HQ-CPCB-HO-Part(1), dated 06.05.2024 में दिये गये दिशा–निदेश के अंतर्गत सहमति शर्तों एवं वैधानिक निदेश के अनुपालन में त्रुटि पाये जाने के विरूद्ध इकाई को निम्न Level के अनुरूप विभिन्न पत्राचार किया जायेगा:–		
	Level-I	इकाई के सामान्य त्रुटियों, संचालन प्रक्रिया में सुधार, पर्यावरणीय शर्तों में सुधार एवं इनके अनवरत अनुपालन हेतु। यथा– 1. इकाई का नाम एवं पता प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित नहीं करने की स्थिति में; 2. जल एवं वहिस्राव से संबंधित लॉग–बुक/ उपचार संयंत्र में उर्जा के खपत हेतु लॉग–बुक / रसायनिक रचना से संबंधित लॉग–बुक/वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों एवं खतरनाक अपशिष्ट के निस्तारण से संबंधित अभिलेखों के रख–रखाव नहीं करने के विरूद्ध; 3. ठोस अपशिष्टों के अनुचित रूप से रख–रखाव एवं साफ–सफाई की उचित प्रबंधन नहीं करने के विरूद्ध; 4. वहिस्राव उपचार संयंत्रों एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उर्जा–मीटर स्थापित नहीं किये जाने के विरूद्ध; 5. प्रदर्शन पट्ट पर खतरनाक अपशिष्टों के अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं कराने के विरूद्ध।	**General Notice:** सामान्य पत्राचार कर पायी गयी त्रुटियों के अनुपालन हेतु औद्योगिक इकाईयों को निदेश दिया जायेगा। **पत्राचार सदस्य सचिव के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।**
	Level-II	1. वांछित सहमति एवं प्राधिकार (CCA) प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन के विरूद्ध; 2. सहमति शर्तों के आलोक में वहिस्राव के निर्धारित मानक में त्रुटि पाये जाने के विरूद्ध; 3. Cluster or Industrial Estate के निरीक्षण के दौरान उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के विरूद्ध; 4. औद्योगिक इकाईयों अथवा सामान्य बुनियादी ढांचा में राज्य स्तर पर हस्तक्षेप का अनुपालन नहीं करने के विरूद्ध; 5. राज्य अधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचा प्रबंधन से संबंधित पर्यावरणीय प्रबंधन में त्रुटि पाये जाने के विरूद्ध; 6. राज्य की नीति से संबंधित समस्याओं के विरूद्ध; 7. सहमति एवं प्राधिकार द्वारा स्वीकृत उत्पादों/ उत्पादन क्षमता में पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना वृद्धि के विरूद्ध; 8. सहमति शर्तों में अंकित मात्रा से अधिक	**Direction (निदेश):** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **(CPCB)**, दिल्ली द्वारा जल एवं वायु अधिनियमों की धारा–18(1)(b) के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् **(SPCB)** को निदेश दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

		वहिस्राव के निस्सारण के विरूद्ध।	
	Level-III	1. औद्योगिक इकाई के प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में तकनीकी अथवा कुव्यवस्था के कारण वहिस्राव/उत्सर्जन का उपचार अपर्याप्त रूप से पाये जाने के विरूद्ध; 2. अधिसूचित मानक के 50 प्रतिशत से कम अथवा निर्धारित मानक के 1.5 गुणा अधिक पाये जाने के विरूद्ध; 3. ध्वनि अवरोधक आवरण के बिना डी.जी. सेट के संचालन अथवा अपर्याप्त उँचाई के चिमनी के साथ संचालन करने के विरूद्ध; 4. Online Continues Effluent and Emission Monitoring System (OCEMS) की स्थापना गलत स्थानों/असंबद्ध कर अथवा आंशिक OCEMS का अधिष्ठापन/OCEMS में छेड़छाड़ किये जाने के विरूद्ध; यह नियम Gross Polluting Industries के साथ–साथ Ganga Basin and 17-category of units के तहत् भी प्रभावी होगा। **5.** वहिस्राव उपचार संयंत्र के एरिएशन (Aeration) टैंक में MLSS की मात्रा रूपांकित (Designed) स्तर से कम पाये जाने/एरिएटर असंचालित पाये जाने/पम्प के स्टैण्ड–बाये प्रबंधन नहीं किये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का संचालन नहीं पाये जाने के विरूद्ध; 6. चिमनी में अनुचित स्थल पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने/सहमति शर्तों में स्वीकृत उँचाई की चिमनी का अधिष्ठापित नहीं करने/अपर्याप्त आकार के प्लेटफॉर्म की स्थापना करने/वहिस्राव एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अवलोकन एवं नमूनों के संग्रहण हेतु उपचार संयंत्र तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था नहीं किये जाने के विरूद्ध; 7. प्राधिकार प्राप्त किये बिना अथवा अप्राधिकृत रूप से खतरनाक अपशिष्टों के निस्तारण एवं भण्डारण करने/भण्डारण हेतु अपर्याप्त क्षमता की व्यवस्था करने/निदेशित शर्तों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की संभावना है, के विरूद्ध।	**<u>Technical Direction:</u>** (तकनीकि निदेश): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के तहत तकनीकी निदेश (Technical Direction) निर्गत किया जायेगा। इसकी प्रति क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजा जायेगा। **पत्राचार अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।**
	Level-IV	1. लेवल–II एवं III द्वारा निर्गत निदेश की अवहेलना पुनः दोहराये जाने के विरूद्ध; 2. वहिस्राव उपचार संयंत्र के किसी स्टेज में	**<u>Proposed Closure Direction:</u>** स्पष्टीकरण के रूप में

		स्वच्छ जल को मिश्रित करने के विरूद्ध; 3. अधिसूचित मापदंड 50 प्रतिशत से कम अथवा निर्धारित मापदंड से 1.5 गुणा अधिक पाये जाने के विरूद्ध; 4. पूर्व निर्गत निदेश को वापस लेने के पश्चात् पुनः उक्त निदेश के उल्लंघन के विरूद्ध; 5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली के निदेश के आलोक में OCEMS की स्थापना नहीं करने अथवा उसे CPCB और SPCB के पोर्टल पर संबद्ध नहीं किये जाने अथवा तकनीकी निदेशों की अवहेलना किये जाने के विरूद्ध; 6. शून्य निस्सारण का अनुपालन अथवा शुष्क प्रक्रिया में नम प्रक्रिया का उपयोग किये जाने के विरूद्ध; उच्च सांद्रता (pH<3or>10) की अम्लीय अथवा क्षारीय वहिस्राव का निस्सारण प्राकृतिक श्रोतों में किये जाने के विरूद्ध।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत कालबद्ध (Time Bond) स्पष्टीकरण आदेश निर्गत किया जायेगा। इस निदेश के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर भुगतान का प्रस्ताव भी प्रेषित किया जायेगा। **पत्राचार अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।**
	Level-V	1. वहिस्राव अथवा उत्सर्जन अथवा दोनों को आंशिक उपचारित कर अथवा उपचार किये बिना बाय–पास करने के विरूद्ध; 2. भूतल जल में उपचारित अथवा अनुपचारित जल को प्रवाहित करने के विरूद्ध; 3. वहिस्राव उपचार संयंत्र/वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के बिना इकाई का संचालन करने अथवा क्षतिग्रस्त संयंत्रो/उपकरणों के साथ इकाई के संचालन के विरूद्ध; 4. खतरनाक अपशिष्टों का अप्राधिकृत रूप से निपटान करने अथवा अवैज्ञानिक भण्डारण से पर्यावरण की क्षति के विरूद्ध; 5. लेवल–IV द्वारा Propose Closure Direction/Show Cause Notice में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के विरूद्ध।	**Direction for Closure:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के तहत दोषी औद्योगिक इकाई को तत्काल प्रभाव से उत्पादन बंद करने का निदेश (Direction for Closure) निर्गत किया जायेगा। इसकी प्रति बिजली बोर्ड/पावर सप्लाई एजेंसी/वाटर सप्लाई बोर्ड को देते हुए आपूर्ति बंद करने का भी निदेश निर्गत किया जायेगा। प्रासंगिक आदेश की प्रति क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजी जायेगी। **पत्राचार अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।**

क्रमांकः 5 पर विभिन्न Levels हेतु वर्णित दिशा–निदेशों का समय–समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा संशोधन किया जाता है। तद्नुसार संशोधित दिशा–निदेश स्वतः मान्य होगा।

उपरोक्त निर्णय/दिशा–निदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

ह0/–
(नीरज नारायण)
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः 2206 पटना, दिनांकः 30.12.24

प्रतिलिपिः पर्षद् विश्लेषक/सभी पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक सलाहकार/सहायक पर्यावरण अभियंता/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी वैज्ञानिक/सभी सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी/मीडिया सलाहकार/अध्यक्ष कोषांग/सदस्य सचिव कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/12/2024
(नीरज नारायण)
सदस्य सचिव